

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com, (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - ३६। / १२-१ अल्मोड़ा, दिनांक, २६/०७/२०२१।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद— पिथौरागढ़ अन्तर्गत तांकुल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव सं०  
FP/UK/HYD/42080/2019।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में Reg.office/Nodal Officer द्वारा लगायी गयी आपत्ति का उत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ के पत्रांक 218 / १२-१ (2) दिनांक 15.07.2021 द्वारा ऑन लाईन प्राप्त हुआ है, जिसे संस्तुति सहित ऑन लाईन संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न— यथोपरि।

भवदीय

(प्रवीण कुमार)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234

पत्रांक:- / 12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 15 जुलाई, 2021।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

**विषय:-** जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल (क्षमता-4x3000 किलोवाट) विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 हेठले वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु यूजेवी०एन० लिमिटेड का हस्तान्तरण (FP/UK/HYD/42080/2019)

**सन्दर्भ:-** भारत सरकार पर्यावारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी०/01/195/2019/एफ०सी०/228 दिनांक 23.06.2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावित 4x3000 किलोवाट तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत की निकासी 33 के०वी० लाइन पर की जानी है। पूर्व में बिन्दु उपरोक्त विषयक प्रस्तावित 4x3000 किलोवाट तांकुल लघु जलविद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत की निकासी 33 के०वी०लाइन पर की जानी है। पूर्व में बिन्दु संख्या 2 के क्रम में स्पष्ट किया गया था कि यूजेवी०एन लिमिटेड द्वारा मौजूदा 11 के०वी० लाइन को 33 के०वी० लाइन में अपग्रेड किया जाना प्रस्तावित है। चूंकि विचाराधीन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में ट्रान्समिशन लाइन हेतु आवश्यक भूमि सम्प्रिलित नहीं है। अतः निम्नलिखित परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर ट्रान्समिशन लाइन हेतु Linear shape भूमि के हस्तान्तरण प्रस्ताव को अलग से प्रस्तुत किया जायेगा। यह भी अवगत कराया गया था कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (उ०पा०का०लि०) द्वारा 33 के०वी० उपसंस्थान, तवाघाट से सीमान्त ग्राम गुंजी तक 33 के०वी० लाइन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।


उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि उक्त 33 के०वी० लाइन आईटी०बी०पी० के BoPs के विद्युतीकरण हेतु ACSR Racoon conductor (तारों) का इस्तेमाल कर बनाई जानी है जो कि परियोजना के ग्राम पांगला के तोक मांगती में प्रस्तावित विद्युत गृह से होते हुए निकलनी प्रस्तावित है। मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के UERC Tariff and Other Terms of Electricity from Renewable Energy Source and Non-fossil fuel based Co-generating Stations) Regulations, 2018dsChapter 6, Miscellaneous, 41-Evacuation of power (1) and (2) के अनुसार 25 मे०वा० तक की रिन्यूएबल इनर्जी पर आधारित विद्युत गृहों से विद्युत ऊर्जा की निकासी हेतु वरियता के आधार पर 10 कि०मी० की परिधि के अन्तर्गत निकटतम उपसंस्थान में Connectivity प्रदान किया जाना Distribution licensee अर्थात् उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड का दायित्व है। ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नियंत्रणाधीन यूजेवी०एन लिमिटेड द्वारा सभी विद्युत गृहों से उत्पादित ऊर्जा की sale उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड को ही की जाती है अन्य किसी Distribution licensee को sale करने की अनुमति नहीं है।

विद्युत गृह मांगती से गुजरने वाली तवाघाट-गुंजी 33 के०वी० लाइन को मांगती विद्युत गृह पर ही संलग्न डायग्राम के अनुसार Loop In Loop Out (Li-Lo) के माध्यम से संयोजित करना प्रस्तावित है। उत्तराखण्ड सरकार, आईटी०बी०पी० एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (उ०पा०का०लि०) के मध्य प्रस्तावित तवाघाट-गुंजी 33 के०वी० लाइन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय एवं गतिमान कार्यवाही के सन्दर्भ में निम्नलिखित दस्तावेज आपके सादर अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रस्तुत हैं।

1. अधीक्षण अभियन्ता, उ०पा०का०लि०, पिथौरागढ़ का पत्रांक 1492 / वि०वि०म०(पि०) दिनांक 31.01.2020 मय प्राक्कलन सहित।
2. उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 844/I(2)/2020-05-35/2005 दिनांक 20.08.2020 मय भाननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार, महानिदेशक, आईटी०बी०पी० के मध्य हुयी वार्ता का कार्यवृत्त दिनांक 17.07.2020 सहित।
3. निदेशक (परिचालन), उ०पा०का०लि० का पत्रांक-4378 / निदेशक परिचालन / उ०पा०का०लि० / एस-2 दिनांक 20.09.2021 संलग्नक सहित।
4. अधीक्षण अभियन्ता, उ०पा०का०लि०, पिथौरागढ़ का पत्रांक वि०वि०म० (पि०) / 895 दिनांक 26.10.2020 मय रुट मैप सहित।
5. सेनानी, 7वीं वाहिनी, भा०ति०सी० पुलिस, पिथौरागढ़ का पत्रांक भा०ति०सी०पु० / 7वीं वा० अभि०/75 / 2020-1624-29 दिनांक 27.02.2011, मय 04 नग संलग्नकों सहित।

विषयगत सन्दर्भ में पुनः अवगत कराना है कि प्रस्तावित  $4 \times 3000$  किओवा० तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना से उत्पादित होने वाली ऊर्जा की निकासी उ०पा०का०लि० की प्रस्तावित 33 क०वी० तवाघाट-गुंजी लाइन में तोक मांगती में प्रस्तावित विद्युत गृह से Loop In Loop Out (Li-Lo) के माध्यम से की जायेगी।  $4 \times 3000$  किओवा० तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के जुड़ने से स्थानीय जनता के साथ-साथ उ०पा०का०लि० द्वारा आई०टी०बी०पी० के सामरिक महत्व की BoP हेतु प्रस्तावित विद्युतीकरण परियोजना को भी पर्याप्त ऊर्जा मिल सकेगी। मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के सलान UERC (Tariff and Other Terms of Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and Non-fossil Fuel based Co-generating Stations) Regulations 2018,ds Chapter 6, Miscellaneous, 41-Evacuation of power, (1) and (2) आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु निम्नवत् उद्धृत है। “Distribution licensee shall provide connectivity to the RE based Generating Stations having capacity upto 25 MW at its nearest distribution sub-station preferably within a range of 10 kilometers from the location of such generating station”.

अतः प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।



संख्या:- / दिनांकित ।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।